[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा-शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 48/2018-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 10 सितम्बर, 2018

सा.का.नि.______(अ).- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (नौवां संशोधन) नियम, 2018 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 में,-

(i) नियम 117 में

(क) उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(1क) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, जो सामान्य पोर्टल पर तकनीकी कठिनाइयों के कारण देय तारीख तक उक्त घोषणा प्रस्तुत नहीं कर सके, के सम्बन्ध में और उन व्यक्तियों जिनकी परिषद् ने ऐसे विस्तार के लिए सिफारिश की है, के सम्बन्ध में **प्ररूप जीएसटीटीआरएएन-1** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से घोषणा प्रस्तुत करने की तारीख को ऐसी और अवधि तक, जो 31 मार्च, 2019 से आगे की नहीं होगी, बढ़ा सकेगा ।";

(ख) उपनियम (4) के खंड (ख) के उपखंड (iii) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु उपनियम (1क) के अनुसार **प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1** में घोषणा फाइल करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति 30 अप्रैल, 2019 तक **प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-2** में विवरण प्रस्तुत कर सकेंगे ।";

(ii) नियम 142 के उपनियम (5) में, "धारा 76 की उपधारा (3)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के पश्चात्, "या धारा 125" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी (पीटी.)]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. 3/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित सा.का.नि. 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अन्तिम बार उन्हें सा.का.नि. 831(अ), तारीख 4 सितम्बर, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 39/2018-केन्द्रीय कर, तारीख 4 सितम्बर, 2018 द्वारा संशोधन किया गया था।